रजिस्ट्री सं० डी० 22 1 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड
PART I—Section 1
[प्राधिकार से प्रकाशित]
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 137] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 12, 1970/श्रावण 21, 1892
No. 137] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 12, 1970/SRAVANA 21, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

### PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

*New Delhi, the 12th August, 1970*

SUBJECT:—*Dock strike in U.K.— revalidation of import licences.*

**No. 119-ITC(PN)/70.**—It has been repersentedthat the shipment of goods from the U.K. Ports have been delayed on account of the dock strike in that country commencing from the 15th July, 1970, and that the validity of import licences should be extended.

2. The matter has been considered and it has been decided that in order to facilitate the shipment of goods from the ports in U.K. against the import licences, which may have expired during the strike period, or are likely to expire soon thereafter, the validity of all such import licences may be deemed to have been extended upto the 30th September, 1970. No endorsement to this effect on the licences, by the licensing authority concerned is necessary. The licensee should approach the customs authorities direct and satisfy them that the shipment was held up at the ports in U.K. due to the said strike.

3. No grace period beyond the extension granted in this Public Notice will be allowed.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports and Exports.

**विदेश व्यापार मंत्रालय**

सार्वजनिक सूचना

**आयात व्यापार नियंत्रण**

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1970

**विषय :– यू० के० में गोदी हड़ताल– आयात लाइसेंसों का पुनर्वधीकरण।**

**सं० 119-आई० टी० सी० (पी० एम०) /70** इसका प्रतिनिधित्व कर दिया गया है कि यू० के० में 15 जुलाई, 1970 से चलने वाली गोदी हड़ताल के कारण यू० के० बन्दरगाहों से माल का पोतलदान करने में देर हो गई है और इस लिए आयात लाइससों की वैध अवधि बढ़ाई जानी चाहिए।

2. मामले पर विचार किया गया है और यह निश्चय किया गया है कि उन आयात लाइसेंसों के विपरीत जो हड़ताल की अवधि में समाप्त हो चुके है या उसके बाद शीघ्र उनकी समाप्ति हो जाने की सम्भावना है, यू० के० बन्दरगाहों से माल के पोतलदान को सुकर बनाने के लिए, इस प्रकार के सभी लाइसेंसो की वैध अवधि 30 सितम्बर, 1970 तक बढ़ाई गई है, ऐसा समझा जाय। सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा इसके लिए लाइसेंसों पर पृष्ठांकन की आवश्यकता नही है। लाइसेंसधारी को सीमा-शुल्क प्राधिकारियो से सीधे ही सम्पर्क स्थापित करना चाहिए और उनको इस बात से सन्तुष्ट करना चाहिए कि उपर्युक्त हड़ताल के कारण हमारा पोतलदान यू० के० बन्दरगाहों पर रुका पड़ा था।

3. इस सार्वजनिक सूचना में बढ़ाई गई अवधि से अधिक अवधि वृद्धि की अनुकम्पा नही दी जाएगी।

आर० जे० रवैलो,
मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970